न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नखतदान बारहठ आर ए एस

राजस्व अपील/223/रा.का.अधि./32/2019/बाड़मेर

अपीलांट

1. रमेशकुमार पुत्र श्री चुतराराम उम्र 35 वर्ष जाति लखारा निवासी पाटोदी तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर।

रेस्पोडेंटगण

बनाम 1.मोवनराम उर्फ मोहन पुत्र प्रतापाराम जी उम्र 55 वर्ष
2.मगराज पुत्र श्री चुतराराम उम्र 32 वर्ष जाति लखारा निवासीयान पाटोदी तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर।
3.राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारक तहसीलदार पचपदरा जिला बाड़मेर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर बालोतरा द्वारा राजस्व वाद संख्या 12/2016 बअनवान मोवनराम उर्फ मोहन बनाम सांगाराम निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.04.2016 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री सुरेश चौधरी अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री भंवरलाल चौधरी रेस्पोडेंट की ओर से।

निर्णय

दिनांकः– 29.07.2019

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि उतरदातागण संख्या 01 ने वादपत्र में यह तथ्य पेश किये राजस्व गांव पाटोदी दक्षिण में खेत खसरा संख्या 3683 रकबा 109.01 बीघा का आया हुआ है। जिसके खातेदार प्रतापा पुत्र मंगना रहे है। संवत 2030 के बाद वादग्रस्त आराजी के मध्य से पाटोदी परेउ सड़क निकलने के कारण 07 बीघा भूमि सड़क हेतु राज्य सरकार के नाम दर्ज हो जाने उपरोक्त भूमि खसरा संख्या 3683 रकबा 62.11 बीघा, खसरा संख्या 3683/1 रकबा 07 बीघा (गैर मुमकिन सड़क) खसरा संख्या 3683/2 रकबा 39.10 बीघा दर्ज किय गयें। जो बाद मे चौसाला खतौनी संवत 2062 से 2065 कायम करते समय खसरा संख्या 3683 के स्थान पर 4019/3683 खसरा संख्या 3683/1 के स्थान पर खसरा संख्या 4020/3683 एवं खसरा संख्या 3683/2 के स्थान पर खसरा संख्या 4021/3683 दर्ज किये गये। वर्तमान मे मौका अनुसार खसरा संख्या 4019/3683 रकबा 62.11 बीघा के स्थान पर 55.15 बीघा एवं खसरा संख्या 4020/3683 रकबा 07 बीघा गैर मुमकिन सड़क यथावत रहा एवं खसरा संख्या 4021/3683 रकबा 39.10 बीघा के स्थान पर 46.05 बीघा बनता है। इस प्रकार उतर की तरफ रकबा 06.15 बीघा कम है व दक्षिण की तरफ रेकर्ड व मौका के अनुसार 06.15 बीघा भूमि ज्यादा है। यानि वादी के हिस्से में आये खसरा संख्या 4418/4019 रकबा 28.11 बीघा दर्ज है। लेकिन मौके पर पैमाईश करने पर भूमि रकबा 21.16 बीघा ही मौजूद है। एवं वादी

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

के पास 06.15 बीघा भूमि कम है। इस आशय का वाद अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों व सिविल प्रक्रिया संहिता के वाद निस्तारण को प्रावधानों को पूरी तरह अनदेखा किया गया। रेकर्ड पर प्रस्तुत कथित राजीनाम दिनांक 11.02.2016 को लिखा जाकर पेश किया, जबकि उस दिन कोई पेशी तारीख मुकर्रर नहीं रही है न ही पत्रावली पेशी तारीख पर लेने का निवेदन पत्रावली पर उपस्थित है। न ही पत्रावली 11.02.2016 को पेशी तारीख पर ली गयी है न ही अपीलांट व उतरदातागण 02 कभी 11.02.2016 या उसके बाद कभी भी न्यायालय में पेश हुए है। वास्तव में दिनांक 10.02.2016 को जब अपीलांट व उतरदाता संख्या 02 वकील श्री माधोसिंह चारण से मिले तथा कागजातों पर हस्ताक्षर करके दियें उसी दिन वकील माधोसिंह चारण व वादी वकील ने मिलीभगत कर अपीलांट व उतरदातागण को न्यायालय श्री में ले जाकर दस्तखत करवायें उन्हीं दस्तखतों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय को गुमराह कर दिनांक 17.02.2016 को उपस्थित दर्ज करवा दी। दिनांक 11.02.2016 को मिलीभगत कर न्यायालय से बाहर मनमाने ढंग से राजीनामा कायम कर पत्रावली में रख दिया, जिस पर न तो न्यायालय श्री का मार्क है, न ही शामिल पत्रावली का आदेश है, उक्त कथित राजीनामा न्यायालय श्री के समक्ष कभी पेश ही नहीं हुए। अधीनस्थ न्यायालय को गुमराह कर व अंधेरे में रखकर पारित करवा दिया, जो अपूर्ण व न्यायिक प्रक्रिया से परे है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय को पारित करते समक्ष पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों, वाद कथनों का अवलोकन किये बिना ही जल्दबाजी में वकीलों द्वारा कथित राजीनामें के जरिये गुमराह होकर, आलोच्य निर्णय पारित किया गया। अपीलाधीन निर्णय विधिक प्रावधानों की पालना करते हुए एवं विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के खिलाफ तथा प्राकृतिक न्याय सिद्धांत का हनन होने से काबिल निरस्त योग्य है।

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों व सिविल प्रक्रिया संहिता के वाद निस्तारण को प्रावधानों को पूरी तरह अनदेखा किया गया। रेकर्ड पर प्रस्तुत कथित राजीनाम दिनांक 11.02.2016 को लिखा जाकर पेश किया, जबकि उस दिन कोई पेशी तारीख मुकर्रर नहीं रही है न ही पत्रावली पेशी तारीख पर लेने का निवेदन पत्रावली पर उपस्थित है। न ही पत्रावली 11.02.2016 को पेशी तारीख पर ली गयी

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

है न ही अपीलांट व उतरदातागण 02 कभी 11.02.2016 या उसके बाद कभी भी न्यायालय में पेश हुए है। वास्तव में दिनांक 10.02.2016 को जब अपीलांट व उतरदाता संख्या 02 वकील श्री माधोसिंह चारण से मिले तथा कागजातों पर हस्ताक्षर करके दियें उसी दिन वकील माधोसिंह चारण व वादी वकील ने मिलीभगत कर अपीलांट व उतरदातागण को न्यायालय श्री में ले जाकर दस्तखत करवायें उन्हीं दस्तखतों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय को गुमराह कर दिनांक 17.02.2016 को उपस्थित दर्ज करवा दी। दिनांक 11.02.2016 को मिलीभगत कर न्यायालय से बाहर मनमाने ढंग से राजीनामा कायम कर पत्रावली में रख दिया, जिस पर न तो न्यायालय श्री का मार्क है, न ही शामिल पत्रावली का आदेश है, उक्त कथित राजीनामा न्यायालय श्री के समक्ष कभी पेश ही नहीं हुए। अधीनस्थ न्यायालय को गुमराह कर व अंधेरे में रखकर पारित करवा दिया, जो अपूर्ण व न्यायिक प्रक्रिया से परे है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय को पारित करते समक्ष पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों, वाद कथनों का अवलोकन किये बिना ही जल्दबाजी में वकीलों द्वारा कथित राजीनामें के जरिये गुमराह होकर, आलोच्य निर्णय पारित किया गया। अपीलाधीन निर्णय विधिक प्रावधानों की पालना करते हुए एवं विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के खिलाफ तथा प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के विपरीत पारित किया गया है। अपीलाधीन निर्णय जिस नक्शा के आधार पर पारित किया गया है उस नक्शा पर अपीलांट के हस्ताक्षर नहीं है। अपीलाधीन निर्णय पारित करते वक्त दिनांक 13.04.2016 की आदेशिका पर हस्ताक्षर नहीं है जो संदेहस्पद है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे।

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

वकील रेस्पोडेंट ने बहस करते हुए बताया कि राजस्व गांव पाटोदी दक्षिण में खेड़ा खसरा संख्या 3683 रकबा 109.01 बीघा का आया हुआ है। जिसके खातेदार प्रतापा पुत्र मंगना रहे है। संवत 2030 के बाद वादग्रस्त आराजी के मध्य से पाटोदी परेउ सड़क निकलने के कारण 07 बीघा भूमि सड़क हेतु राज्य सरकार के नाम दर्ज हो जाने उपरोक्त भूमि खसरा संख्या 3683 रकबा 62.11 बीघा, खसरा संख्या 3683/1 रकबा 07 बीघा (गैर मुमकिन सड़क) खसरा संख्या 3683/2 रकबा 39.10 बीघा दर्ज किय गयें। जो बाद मे चौसाला खतौनी संवत 2062 से 2065 कायम करते समय खसरा संख्या 3683 के स्थान पर 4019/3683 खसरा संख्या 3683/1 के स्थान पर खसरा संख्या 4020/3683 एवं खसरा संख्या 3683/2 के स्थान पर खसरा संख्या 4021/3683 दर्ज किये गये। वर्तमान मे मौका अनुसार खसरा संख्या 4019/3683 रकबा 62.11 बीघा के स्थान पर 55.15 बीघा एवं खसरा संख्या

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

4020/3683 रकबा 07 बीघा गैर मुमकिन सड़क यथावत रहा एवं खसरा संख्या 4021/3683 रकबा 39.10 बीघा के स्थान पर 46.05 बीघा बनता है। इस प्रकार उत्तर की तरफ रकबा 06.15 बीघा कम है व दक्षिण की तरफ रेकर्ड व मौका के अनुसार 06.15 बीघा भूमि ज्यादा है। यानि वादी के हिस्से में आये खसरा संख्या 4418/4019 रकबा 28.11 बीघा दर्ज है। लेकिन मौके पर पैमाईश करने पर भूमि रकबा 21.16 बीघा ही मौजूद है। एवं वादी के पास 06.15 बीघा भूमि कम है। पक्षकारों के मध्य में हुए राजीनामा एवं लोक अदालत की भावना से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। राजीनामा पर अपीलांट स्वयं के हस्ताक्षर है तथा उसने राजीनामा को स्वीकार किया है। राजीनामा के आधार पर पारित निर्णय के विरूद्ध पेश अपील चलने योग्य नहीं है। अपीलांट सद्भाविक एवं स्वच्छ हाथों से न्यायालय में नहीं आया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय विधि के अनुरूप पारित किया गया है जिसमें किसी तरह की कमी नहीं हैं। इसलिए अपीलांट की अपील खारिज फरमायी जावे।

सर्वप्रथम धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर निर्णय करना उचित होगा। वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपने आप में गलत है, विधि के प्रावधानों से परे जाकर गलत एवं एकपक्षीय पारित किया गया है। जो न्यायिक दृष्टि से कोई निर्णय व डिक्री की श्रेणी में नहीं आता, ऐसे अपूर्ण व शून्य निर्णय व डिक्री को कभी भी चुनौती दी जा सकती है। अपीलांट को अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की जानकारी 15 रोज पूर्व व नकलें दिनांक 12.03.2019 को प्राप्त करने पर हुआ है, तथा वास्तविक ज्ञान की तारिख से अपील अन्दर मियाद पेश है। अपील पेश करने में हुआ विलंब सद्भाविक है अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलांट/प्रतिवादी द्वारा अपील पेश करने में हुई देरी सद्भाविक नहीं। अपील सुर्दीघ अवधि के बाद पेश की गई है जिसका कोई संतोषप्रद कारण नहीं बताया जबकि अपील पेश करने में हुई देरी के एक–एक दिन का हिसाब बताना पड़ता है। अपीलांट द्वारा अपील तकरीबन 03 वर्ष बाद पेश की गई है जो मयाद बाहर है। अतः लिमिटेशन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर खारिज करने की बजाय इसका निस्तारण

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

गुणावगुण के आधार पर किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है। लिहाजा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का अवलोकन व विद्वान उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि मामले में कथित राजीनामा अवश्य है परन्तु उसके तहत लिखा गया मजमून एवं रकबे के संबंध में कथन सही नहीं है। वादी के **कम रकबे 06.15 बीघा** को **किस प्रतिवादी के किस खसरा संख्या** में से कम करके उसकी खातेदारी में घोषित करने के बारे में कोई खुलासा नहीं है। इस राजीनामें के साथ प्रस्तुत बरंग नक्शा पर **अपीलांट के हस्ताक्षर नहीं** होने से यह राजीनामे के हिस्से के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। कथित राजीनामा न तो पीठासीन अधिकारी के **द्वारा मार्क किया गया है और न ही उनके द्वारा तस्दीक हुआ है।** विधि की दृष्टि में **इस राजीनामे का कोई महत्व नहीं है।** किस खसरे में से भूमि कम होकर वादी के पक्ष में घोषित 06.15 बीघा भूमि का नवीन खसरा सृजित किया है, स्पष्ट नहीं है। लिहाजा 06.15 बीघा भूमि रकबा बढा दिया जो किसी भी सूरत में मान्य नहीं है। **किसी भी ग्राम का कुल रकबा घट–बढ नहीं सकता। अपीलाधीन निर्णय की दिनांक 13.04.2016 की आदेशिका में पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है।** इस दृष्टि से अपीलाधीन निर्णय सर्वथा दूषित एवं विधि विरूद्ध है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील रिमाण्ड करने योग्य ठहरती है।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। एवं अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बालोतरा द्वारा राजस्व वाद संख्या 12/2016 बअनवान मोवनराम उर्फ मोहन बनाम सांगाराम निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.04.2016 को अपास्त किया जाकर मामला अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष को समुचित सुनवाई का मौका दिया जाकर साक्ष्य/सबूत लेकर, तनकीयात कायम कर प्रत्येक विवाधक पर विस्तृत विवेचन के साथ गुणावगुण पर विधिसम्मत निर्णय पारित करे।

29/7/19

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह निर्णय आज दिनांक 29.07.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

29/7/19

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner